उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–1794 / पॉच–5–2020
लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच हेतु लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि रू0–2500/– चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–939/पांच–5–2020 दिनांक 23.04.2020 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– 967/पांच–5–2020 दिनांक 26.04.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित की गई है।

2– वर्तमान में आर0टी0–पी0सी0आर0 टेस्ट किट रीजेन्ट्स तथा वी0टी0एम0 किट के दामों में गिरावट आने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या–939/पांच–5–2020 दिनांक 23.04.2020 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–967/पांच–5–2020 दिनांक 26.04.2020 को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0–पी0सी0आर0 जांच हेतु लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि रू0 1600/– निर्धारित की जाती है।

3– ट्रूनाट के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भी अधिकतम धनराशि रू0 1600/– का शुल्क लिया जाएगा।

4– निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु रू0 1600/– से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लिखित प्राविधानों का पालन न करना एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

संलग्नकः यथोक्त।

10-9-20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1794 (1)/पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
9. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

10/09/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

10.09.20

p U.O com 3